B.Com-1 | विषय-1- वित्तीय लेखांकन(स) / F. A/C | द्वारा, सुमीत कुo सुमन (आर. एन. कॉलेज (हाजीपुर)

Que → संयुक्त साहस (Joint venture) की परिभाषा दें। संयुक्त साहस एवं साझेदारी (Partnership) में अन्तर स्पष्ट करें?

उत्तर

जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से अल्पावधि वाले किसी विशेष व्यापार को करने के लिए अस्थायी साझेदारी करते हैं तो इसे संयुक्त उपक्रम / साहस कहते हैं। विशेष व्यापार की स्वतः समाप्ति के बाद लेखा कर लाभ की गणना की जाती है तो इसे पूर्व निश्चित अनुपात में बांट लिया जाता है। इस व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों को सह-साहसी कहते हैं।

प्रो. एम. सी. शुक्ला के अनुसार - " संयुक्त साहस एक छोटा वाणिज्यिक उपक्रम करने और उससे होने वाली प्राप्तियों (या हानियों) को पूर्व सहमत अनुपात में बाँटने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच प्रसंविदा के परिणाम होते हैं।"

("Joint ventures are a result of contract between two or more parties to undertake a small commercial venture and to share the gains (or losses) thereof in agreed proportions.")

दूसरे शब्दों में - " जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, फर्म, कम्पनियाँ या अन्य संयुक्त जोखिम पर लाभ कमाने के उद्देश्य से समझौता कर निश्चित उद्देश्य युक्त अस्थायी व्यवसाय करते हैं और लाभ - हानि को पूर्व निश्चित अनुपात में बाँटते हैं तो इसे संयुक्त साहस कहते हैं। संयुक्त साहस के व्यवसाय की प्रकृति अस्थायी रहने से यह व्यवसाय के पूरा होने के बाद लाभ के बँटवारे के साथ स्वतः समाप्त हो जाता है।

* संयुक्त साहस की विशेषताएँ :-

(a.) अस्थायी साझेदारी
(b.) निश्चित उद्देश्य
(c.) लाभ का अर्जन
(d.) लाभ का बँटवारा
(e) व्यक्तियों की संख्या
(e) फर्म का नाम नहीं
(f) संयुक्त जोखिम
(g) लाभ - हानि की गणना का समय
(h.) समझौता
(i) आवश्यकता की पूर्ति
(j) संयुक्त साहस की समाप्ति

P.T.O

Scanned with CamScanner

संयुक्त साहस एवं साझेदारी में अन्तर

क्रम	अन्तर का आधार	संयुक्त साहस	साझेदारी
(1.)	अर्थ	जब दो या दो से अधिक व्यापारी मिलकर संयुक्त जोखिम पर अस्थायी साझेदारी करते हैं तो इसे संयुक्त साहस कहते हैं।	साझेदारी उन व्यक्तियों के संबंध है जो एक ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो कि उन सबके द्वारा या उन सभी की ओर से उनमें से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है।
(2.)	व्यक्तियों की संख्या	इसमें सह-साहसियों की संख्या असीमित होती है। अधिकतम संख्या पर प्रतिबंध नहीं है।	इसमें कम से कम दो साझेदार तथा सामान्य व्यवसाय के लिए अधिकतम बीस तथा बैंकिंग व्यवसाय के लिए अधिकतम दस होते हैं।
(3.)	फर्म का नाम	इसमें फर्म का नाम नहीं होता है।	इसमें फर्म का नाम होता है।
(4.)	स्थायित्व	यह अस्थायी साझेदारी है तथा विशेष कार्य के पूरा होने के साथ स्वतः समाप्त हो जाता है।	यह स्थायी साझेदारी है और व्यापार के संचालन तक स्थायी रहती है।
(5.)	रजिस्ट्रेशन	बाहरी व्यक्तियों पर प्रतिवाद प्रस्तुत करने के लिए इसकी रजिस्ट्री कराना आवश्यक नहीं है।	बाहरी व्यक्तियों के प्रतिवाद प्रस्तुत करने के लिए इसकी रजिस्ट्री कराना आवश्यक है।
(6.)	अवयस्क की स्थिति	इसमें अवयस्क के प्रति समझौता अवैध है। इस कारण वह संयुक्त-साहस व्यवसाय में शामिल नहीं किया जा सकता है।	इसमें अवयस्क को फर्म के लाभों के लिए हिस्सेदार बनाया जा सकता है पर साझेदार नहीं बनाया जा सकता है।
(7.)	उद्देश्य	संयुक्त साहस व्यवसाय को करने का मात्र एक उद्देश्य रहता है।	साझेदार व्यवसाय को करने के एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं।
(8.)	प्रतिबंध	संयुक्त साहस के साहसी संयुक्त साहस के द्वारा किए जाने वाले व्यापार को व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं।	साझेदारी फर्म के साझेदार साझेदारी फर्म के द्वारा किए जाने वाले व्यापार को व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते हैं।
(9.)	अवधि	इसकी अवधि सीमित होती है।	इसकी अवधि व्यापार के संचालन होने तक होती है।
(10.)	लाभ-हानि का बंटवारा	सह-साहसियों के मध्य लाभ का बंटवारा व्यवसाय की समाप्ति के बाद होता है।	साझेदारों के मध्य लाभ का बंटवारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद होता है।
(11.)	गर्भित अधिकार	सह-साहसियों के मध्य गर्भित अधिकार का सिद्धांत लागू नहीं होता है।	साझेदारों के मध्य गर्भित अधिकार का सिद्धांत लागू होता है।
(12.)	सहभागियों का नाम	संयुक्त उपक्रम के सह-भागियों को सह-साहसी कहते हैं।	साझेदारी व्यवसाय के सहभागियों को साझेदार कहते हैं।

Scanned with CamScanner

	अन्तर का आधार	संयुक्त साहस	साझेदारी
(13.)	लेखांकन प्रणाली	संयुक्त उपक्रम रोकड़ प्रणाली पर सीमित रूप से लेखांकित किया जाता है।	यह नकद और उधार दोनों प्रणालियों पर विस्तृत रूप से लेखांकित किया जाता है।
(14.)	लाभ का निर्धारण	इसमें प्रत्येक उपक्रम के लिए अलग-अलग लाभ के बंटवारा का अनुपात निर्धारित किया जाता है।	इसमें लाभ के बंटवारे का निर्धारण वार्षिक होता है।
(15.)	लेखों को तैयार करना	संयुक्त उपक्रम का लेखा उपक्रम की समाप्ति पर होता है। कई वर्षों तक चलने वाले उपक्रम के लिए मध्यावधि वार्षिक लेखा बनाया जाता है।	इसमें लाभ के बंटवारे का निर्धारण वार्षिक होता है और व्यापार की समाप्ति तक प्रायः स्थिर रहता है। इसका लेखा वित्तीय वर्ष के अन्त में बनाया जाता है।
(16.)	लेखांकन विधियाँ	इसके लेखांकन की मुख्यतः चार विधियाँ हैं जिनमें से सुविधानुसार किसी एक विधि का उपयोग किया जाता है।	इसके लेखांकन की केवल एक विधि है।
(17.)	विनिमय बिल लिखना	एक सह-साहसी दूसरे सह-साहसी पर विनिमय बिल लिख सकता है।	एक साझेदार दूसरे साझेदार पर विनिमय बिल नहीं लिख सकता है।
(18.)	लेखांकन का स्थान	लेखांकन का कार्य एक स्थान / विभिन्न स्थान या साहसी की बहियों में होता है।	लेखांकन का कार्य फर्म के मुख्य कार्यालय में होता है।
(19.)	विशेष अधिनियम	संयुक्त उपक्रम के संचालन के लिए विशेष अधिनियम नहीं है। यह भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के द्वारा शासित होता है।	साझेदारी व्यवसाय के संचालन और शासन के लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है।
(20.)	दायित्व की सीमा	इसके सह-साहसी आपसी समझौते के द्वारा अपने दायित्व को सीमित कर सकते हैं।	साझेदारी व्यवसाय के साझेदारों के दायित्व असीमित होते हैं।

Scanned with CamScanner